

कृषि श्रम का अर्थ और ग्रामीण भारत में मजदूरों की वृद्धि: स्थिति

बीरेंद्र कुमार, अनुसंधान विद्वान, अर्थशास्त्र विभाग, ओ पी जे एस विश्वविद्यालय, चूरू (राजस्थान)

डॉ आर सी शर्मा, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, ओ पी जे एस विश्वविद्यालय, चूरू (राजस्थान)

प्रस्तावना

भारत में कृषि श्रम शब्द का उपयोग श्रम शक्ति के उस वर्ग को निरूपित करने के लिए किया जाता है जो कृषि में काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से, अन्य के स्वामित्व वाली भूमि में, शब्दों में, वे सभी व्यक्ति जो आय का एक बड़ा हिस्सा प्रदर्शन किए गए काम के भुगतान के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरों के खेतों को कृषि मजदूरों के रूप में डिजाइन किया जा सकता है।

1956-57 की दूसरी कृषि श्रम जाँच समिति ने बताया कि कौन कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी सुअर पालन और मुर्गी पालन में लगे हुए थे।

श्रम पर राष्ट्रीय आयोग

"कृषि मजदूर वह है जो मूल रूप से अकुशल और असंगठित है और उसके पास आजीविका कमाने के लिए अपने श्रम के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार, ऐसे श्रमिक की आय का बड़ा हिस्सा भूमि पर काम करने के लिए मजदूरी से प्राप्त होता है।

कृषि मजदूरों के प्रकार

प्रथम कृषि श्रम जांच समिति ने कृषि कार्यों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया था।

संलग्न श्रमिक

दिहाड़ी मजदूर

1. संलग्न मजदूर

संलग्न मजदूर वे श्रमिक होते हैं जो लिखित या ग्रामीण समझौते के आधार पर किसी खेतिहर परिवार से जुड़े होते हैं। इन श्रमिकों को अपनी पसंद के नियोक्ता के पास जाने की अनुमति नहीं है। संलग्न मजदूर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, और उनके काम की प्रकृति, और उनके काम की प्रकृति नियमित होती है। संलग्न मजदूरों को आगे वर्गीकृत किया गया है।

बंधुआ मजदूर

लंबे समय तक कृषि सेवक

बंधे मजदूर

क) बंधुआ मजदूर

बंधुआ मजदूर वह है जो अकेले के खिलाफ खुद को या अपने परिवार के कई सदस्यों को गिरवी रखता है। बंधुआ मजदूर एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए खुद को लेनदार के लिए काम करने के लिए बाध्य करता है या ऋण को तेजी से भरता है

ख) दीर्घावधि कृषि सेवक

दीर्घकालीन कृषक सेवक वे होते हैं जो भू-स्वामियों के क्षेत्र में काफी लम्बे समय तक सेवा करते हैं।

c) बंधे हुए मजदूर

बंधुआ मजदूर वे स्थायी मजदूर हैं जो संलग्न मजदूर हैं जो कृषि घरों से जुड़े हुए हैं।

2) आकस्मिक मजदूर

संलग्न श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आने वाले श्रमिकों को आकस्मिक श्रमिक के रूप में जाना जाता है। वे किसी भी किसान के खेत में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और वे किसी भी किसान के खेत पर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और वे आमतौर पर दैनिक आधार पर मजदूरी प्राप्त करते हैं, उन्हें आगे वर्गीकृत किया गया है

छोटा किसान

तम्बू

फसल काटने वाले

छोटा किसान

छोटे किसान वे होते हैं जिनकी जोत बहुत कम होती है और इस प्रकार उन्हें दूसरों के किसानों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

बी) टेंट

तंबू वे हैं जो पट्टे की जमीन पर काम करते हैं, यह उनकी आय का मुख्य स्रोत नहीं है। उनकी आय का मुख्य स्रोत दूसरों की भूमि पर किया जाने वाला कार्य है।

सी) शेयर क्रॉपर्स

बंटाईदार वे हैं जो अपने द्वारा खेती की गई भूमि की उपज को साझा करने के अलावा मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं।

भारत में भूमिहीन कृषि श्रमिक

कृषि श्रमिक एवं कृषि श्रमिक परिवार की परिभाषा को लेकर एक मत नहीं है। पहली कृषि श्रम जांच समिति (एएलईसी) (1950-51) ने खेतिहर मजदूरों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है, जो वर्ष के दौरान वास्तव में काम करने वाले दिनों की कुल संख्या के आधे से अधिक दिनों के लिए किराए के मजदूर के रूप में कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। जबकि, एक कृषि श्रमिक परिवार को "एक परिवार के रूप में या 50.00 प्रतिशत या अधिक कमाई करने वाले कृषि श्रम को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में परिभाषित करते हैं" के रूप में परिभाषित किया गया है।

दूसरे एएलईसी (1956-57) ने खेतिहर मजदूरों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें शामिल किया, 'वे जो डेयरी फार्मिंग, बागवानी, पशुधन, मधुमक्खियों, मुर्गी पालन आदि जैसे अन्य कृषि व्यवसायों में लगे हुए थे; राष्ट्रीय श्रम आयोग (NCL) के अनुसार, 'एक खेतिहर मजदूर वह है, जो मूल रूप से अकुशल और असंगठित है और निजी श्रम के अलावा उसकी आजीविका के लिए बहुत कम है'। इस प्रकार वे व्यक्ति जिनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि में मजदूरी रोजगार है, इस श्रेणी में आते हैं।

ग्रामीण समाज

कृषि मजदूर ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। लेकिन वे पिछड़े, अशिक्षित, दबे-कुचले वर्गों से संबंधित, असंगठित, भारी कर्जदार, गांवों में गैर-कृषि व्यवसायों की कमी का सामना करते हैं और कृषि में मौसमी रोजगार पाते हैं। इस वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को छोड़कर सरकारी कानून का लगभग अभाव है, जो कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी निर्धारित करता है (पंजाब सरकार, 2008-09)। देश में कुल श्रमिकों के लिए खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत 1951 में 19.72 से बढ़कर 1991 में 26.09 प्रतिशत और 2001 में 26.58 प्रतिशत हो गया है (भारत सरकार, 2001)। कृषि श्रमिक पंजाब राज्य में कुल श्रमिकों की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है। 1971 के बाद से इस श्रेणी की हिस्सेदारी और साथ ही इसकी पूर्ण संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। श्रमिकों की इस श्रेणी में पुरुषों का वर्चस्व है (जीओपी, 2004)। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अनुसार, कृषि श्रम ग्रामीण कार्यबल का लगभग 1/5वां हिस्सा था और 50 प्रतिशत कृषि मजदूर भूमिहीन थे और बिक्री के लिए कोई संपत्ति नहीं थी। संपत्ति की कमी, बेरोजगारी और अल्परोजगार, अनियमित काम, कठिन काम करने की स्थिति, पोषण के तहत कम मजदूरी, निरक्षरता और सामाजिक पिछड़ेपन ने इन श्रमिकों के बीच गरीबी सिंड्रोम का गठन किया (कुमार, के.आर., 1995)।

कृषि श्रमिक परिवार ग्रामीण समाज में सबसे अधिक वंचित, कुपोषित और आर्थिक पिरामिड वर्ग में सबसे नीचे थे। ग्रामीण श्रम जांच रिपोर्ट (1999-2000) के अनुसार, भूमिहीन कृषि श्रमिक और सीमांत किसान ग्रामीण समाज में प्रमुख हैं। कृषि श्रमिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे उपेक्षित वर्ग का गठन करते हैं। कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण उनकी आय बहुत कम है और रोजगार अनियमित है। चूंकि उनके पास कोई कौशल या प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए उनके पास अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के कोई वैकल्पिक अवसर नहीं हैं। पर्याप्त संख्या में श्रम शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता के संदर्भ में कृषि का महत्व घट रहा है। दिलचस्प बात यह देखी गई कि पुरुष और महिला दोनों कार्यबल के मामले में कृषि श्रम का आकस्मिककरण किया गया था। राज्य में खेतिहर मजदूरों के कैजुअलाइजेशन के प्रमुख कारणों में प्रमुख कृषि कार्यों का मशीनीकरण, प्रवासी मजदूरों का आना, कृषि विकास की धीमी गति और छोटी और सीमांत जोत की गैर-व्यवहार्यता रही है। इसके अलावा, गेहूं, धान और कपास की फसलों के उत्पादन में मानव श्रम के उपयोग में समय के साथ गिरावट आई है (तूर, एम.एस. और अन्य 2007)। गाँव की अर्थव्यवस्था में भूमि का सामाजिक वितरण सामाजिक-आर्थिक स्थिति के साथ-साथ गाँव में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति संबंध को निर्धारित करता है। कृषि मजदूरों के बीच भूमिहीनता प्रमुख समस्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, असमानता और बेरोजगारी का मुख्य कारण है (NSSO, 2006)। नौवीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पेपर के अनुसार, 77 प्रतिशत दलित (SC) और 90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) "पूर्ण भूमिहीन" या "मात्र भूमिहीन" (भारत सरकार, योजना आयोग, 1997) थे।

अन्य श्रमिकों जैसे औद्योगिक श्रमिकों की तुलना में कृषि श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर है। इसके अलावा, कृषि श्रम असंगठित है। औद्योगिक श्रमिकों के विपरीत, कृषि श्रमिकों के पास ज्यादातर ट्रेड यूनियन नहीं होते हैं। असंगठित श्रमिकों की कुल कार्यबल में 93 प्रतिशत हिस्सेदारी है। असंगठित क्षेत्र में कृषि श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा है (दास, ए.सी. और हेलेन, एम., 2008)। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) का अनुमान है कि वर्ष 2004-05 में कुल श्रमिकों में से 52 प्रतिशत कृषि में पाए गए (आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08)। यहां तक कि कुछ सीमांत किसान, अपनी गैर-किफायती जोत और कम उपज के कारण, दूसरों की भूमि पर भी काम करते हैं और इसलिए कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं।

मौसमी बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है और कृषि की प्रणाली में मानव शक्ति की बेरोजगारी अंतर्निहित है। प्रथम कृषि श्रम जांच समिति (एएलईसी, 1950-51) के अनुसार लगभग पुरुष खेतिहर मजदूरों को कृषि कार्य में 189 दिनों के लिए और गैर-कृषि कार्यों में 29 दिनों के लिए यानी कुल मिलाकर 218 दिनों के लिए नियोजित किया गया था। आकस्मिक पुरुष श्रमिकों को केवल 200 दिनों के लिए रोजगार मिला, जबकि नियमित श्रमिकों को एक वर्ष में 326 दिनों के लिए नियोजित किया गया। महिला श्रमिकों को एक वर्ष में 134 दिन नियोजित किया जाता है।

नई कृषि तकनीक के प्रयोग से पंजाब में कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा और इससे श्रम की मांग में और वृद्धि हुई। लेकिन खंडित श्रम बाजार के कारण अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार आदि से बड़ी संख्या में कृषि श्रमिक पंजाब कृषि में आए, जिससे कृषि श्रम की कुल आपूर्ति में वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि मजदूरी दर स्थानीय श्रमिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बढ़ी। अतः उनकी आय का स्तर बहुत निम्न रहा।

हरित क्रांति के आगमन के साथ धन मजदूरी दरों में काफी वृद्धि होने लगी लेकिन वास्तविक मजदूरी दरों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई (एचकेएम सिंह, 1979)।

हरित क्रांति की तकनीक कुछ लोगों के लिए समृद्धि और सौभाग्य ला सकती है, लेकिन कृषि श्रमिकों के लिए नहीं। वास्तव में, इसने जमींदार वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक दबदबे को सामान्य रूप से जोड़ा, जबकि सामाजिक असमानताओं (पुरी, 2003) को और भी बढ़ाया। इसके अलावा कई गरीब खेतिहर मजदूरों ने थ्रेशर जैसी घटिया कृषि मशीनरी का संचालन करते हुए अपने अंग या यहां तक कि अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन मशीन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को त्वरित और पर्याप्त मुआवजे के लिए कोई सुपरिभाषित प्रावधान नहीं था। साथ ही पौधों पर जहरीले रसायनों का छिड़काव मुख्य रूप से गरीब खेतिहर मजदूरों द्वारा किया जाता है और यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जोखिम भरा साबित होता है। यहां तक कि नई आर्थिक नीति का भी खेतिहर मजदूरों की स्थिति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। खेतिहर मजदूरों की भलाई से संबंधित सभी संकेतकों ने संकेत दिया कि 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति ने उनकी दुर्दशा को और खराब कर दिया है (झा, 1997)। पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार का कृषि विकास हो रहा है (अधिकांश कृषि कार्यों के बड़े पैमाने पर मशीनीकरण के साथ) दिहाड़ी मजदूरों के बीच व्याप्त बेरोजगारी की समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। निस्संदेह, कम विकसित जिलों की तुलना में अधिक विकसित जिलों में अटैच्ड और नैमित्तिक मजदूरों दोनों की मजदूरी आम तौर पर अधिक थी। नतीजतन, पंजाब में दिहाड़ी मजदूरों के साथ-साथ अन्य गैर-खेती परिवारों की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में उनके समकक्षों की तुलना में पंद्रह से सोलह प्रतिशत अधिक थी। फिर भी भारत के इस केंद्रीय क्षेत्र में हरित क्रांति में लगभग आधे दिहाड़ी मजदूर परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित जिलों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों का प्रतिशत कम था।

भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों के बीच ऋणग्रस्तता में सामाजिक पहलू भी योगदान दे रहा है। कृषि के मशीनीकरण के साथ, फसल की खेती से उत्पादन और आय में वृद्धि हुई। कृषि के इस मशीनीकरण ने शहरों के साथ ग्रामीण लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव पैदा किया है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने की दौड़ हुई है। इस दौड़ में खेतिहर मजदूर ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र में फंस गए (सिंह, जी. 2011)।

यहां तक कि जब ग्रामीण ऋण की बात आती है, तो यह उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था जिन्हें ऋण की आवश्यकता थी, यानी ज्यादातर कृषि श्रमिक। उन्हें विवाह और मृत्यु समारोहों आदि के लिए निर्वाह ऋण के रूप में पैसा उधार लेने के लिए मजबूर किया गया था। सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं दोनों उन्हें कर्ज में और अक्सर बंधन में डालती हैं (चोपड़ा, एस। 2005)।

आमतौर पर यह माना जाता है कि भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। चयनित भूमिहीन खेतिहर श्रमिक परिवारों की आय और खपत के स्तर और पैटर्न के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि चयनित कृषि श्रमिक परिवारों की आय दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

साहित्य की समीक्षा

साहित्य से परामर्श करने पर पता चलता है कि किसी भी भूगोलवेत्ता या किसी अन्य सामाजिक वैज्ञानिक ने इतने जटिल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। वास्तव में, इस विशेष विषय पर शायद ही कोई शोध मौजूद है। इस मुद्दे से संबंधित जानकारी बहुत कम और अधूरी है। हालाँकि, निम्नलिखित साहित्य कृषि श्रमिकों की कार्य स्थितियों पर कुछ विचार प्रदान कर सकता है।

अग्रवाल, ए.एन. (2019) ने काम के माहौल और रोजगार की परिस्थितियों और खेतिहर मजदूरों की दक्षता, स्वास्थ्य और जीवन पर इसके प्रभावों पर कुछ प्रकाश डाला है लेकिन उपरोक्त विषय से संबंधित किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है।

शर्मा, ए.एम. (2018) ने व्यावसायिक खतरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जिसमें उन्होंने भौतिक खतरों (जैसे गर्मी और ठंड, प्रकाश, शोर और कंपन, अल्ट्रा-वायलेट विकिरण और आयनकारी विकिरण), रासायनिक खतरों पर जोर दिया; जैविक खतरे; यांत्रिक खतरों और मनोवैज्ञानिक खतरों लेकिन काम करने की स्थिति के ऐसे तत्वों पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया।

वाघ, राहुल और डोंगरे, अनिल। (2016), भारतीय कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 13.9% हिस्सा है और देश के कर्मचारियों की संख्या के 54.6% से थोड़ा ही कम है। कृषि मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार नोडल संगठन है। अध्ययन का उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र की स्थिति, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और किसानों, कृषि उद्योग और सरकारों के सामने महत्वपूर्ण अनियंत्रित वातावरण में कृषि के विकास के लिए बाधाओं को समझना है, साथ ही विभिन्न सरकारी पहलों, निवेशों को जानना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास और कृषि की भूमिका के लिए नीतियां।

वाघ, राहुल और डोंगरे, अनिल। (2016)। कृषि क्षेत्र: भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति, चुनौतियाँ और इसकी भूमिका। जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट थॉट। 7. 209. 10.5958/0976-478X.2016.00014.8।

अरुण कुमार। (2018), कृषि एक बड़ा उद्योग है क्योंकि 2013 तक भारत में लगभग 50 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। मजबूत आर्थिक विकास किसी भी देश के मानव विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है क्योंकि यह केवल बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं के माध्यम से लोगों की क्षमता में सुधार के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों की आय अर्जित करने के अवसरों में मदद करता है। हालाँकि, आर्थिक विकास के लाभों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से लाभान्वित नहीं किया है। बेहतर कृषि मौसमों में कृषि श्रमिकों को एक महीने में औसतन 20 दिन मिलते हैं, जबकि व्यस्ततम कृषि मौसमों में उन्हें लगभग 25 दिनों का काम मिलता है। गाँव में बसने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि वे गाँव के किसानों के लिए साल भर पूर्णकालिक काम करते हैं। बसे हुए श्रमिकों को उनके द्वारा कृषि में किए जाने वाले कार्य के आधार पर 120 से 150 रुपये का भुगतान किया जाता है और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर मजदूरी अलग-अलग होती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति विभिन्न गज की छड़ियों का उपयोग करके उनके जीवन स्तर को दर्शाती है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, जिसे सदस्यों के दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के बीच बहुत अंतर है। यह न केवल भारतीय परिदृश्य के लिए आम समस्या है बल्कि विश्व स्तर पर सभी विकासशील देशों में भी मौजूद है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर गौर करना है। विशेष रूप से, यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है।

- पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन कृषि मजदूरों की आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं की जांच करना;
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों की प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति आय का विश्लेषण

करना;

- भूमिहीन कृषि श्रमिकों के प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान लगाना;
- भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बीच ऋणग्रस्तता की मात्रा की जांच करना;
- ऋण के विभिन्न स्रोतों और इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को जानना;
- पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की व्यावसायिक संरचना का विश्लेषण करना;
- संपत्ति की सीमा (मूल्य) और संरचना की जांच करने के लिए;
- हमारे अध्ययन के आधार पर सुझाव देने के लिए

कृषि श्रम की विशेषताएं

कृषि श्रम खेती और कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में लगे कर्मचारियों को संदर्भित करता है। यहां कृषि श्रम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

1. भौतिक मांगें: कृषि श्रम शारीरिक रूप से मांग करने वाला होता है और इसमें अक्सर रोपण, कटाई, निराई और संचालन मशीनरी जैसे कार्य शामिल होते हैं। श्रमिकों को विभिन्न मौसम स्थितियों में शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

2. मौसमी प्रकृति: कई कृषि गतिविधियां मौसमी होती हैं, जो फसल चक्र, मौसम के पैटर्न और बाजार की मांग जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। नतीजतन, कृषि श्रमिक अक्सर मौसमी रोजगार का अनुभव करते हैं, जिसमें रोपण और कटाई के मौसम के दौरान उच्च मांग की अवधि होती है, और ऑफ-पीक समय के दौरान कम मांग होती है।

3. ग्रामीण रोजगार: कृषि श्रम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है जहां खेती की गतिविधियां होती हैं। इससे विशिष्ट क्षेत्रों में श्रम की एकाग्रता हो सकती है, ग्रामीण समुदाय कृषि रोजगार पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

4. विविध कौशल स्तर: कृषि श्रम में कौशल स्तरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जटिल मशीनरी के संचालन या कृषि प्रौद्योगिकी के प्रबंधन जैसे कुछ कार्यों के लिए विशेष कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। रोपण या शारीरिक श्रम जैसे अन्य कार्यों के लिए कम औपचारिक प्रशिक्षण या अनुभव की आवश्यकता हो सकती है।

5. प्रवासी श्रमिक: कई देशों में, कृषि श्रमिक उन प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर करते हैं जो खेतों और बागानों में काम करने के लिए मौसमी रूप से जाते हैं। प्रवासी श्रमिकों में अक्सर ऐसे व्यक्ति या परिवार शामिल होते हैं जो कृषि क्षेत्रों में काम करने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, और उन्हें आवास, परिवहन और श्रम अधिकारों से संबंधित अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

6. श्रम गहनता: कृषि उत्पादन श्रम-गहन हो सकता है, विशेष रूप से लघु-स्तरीय कृषि कार्यों में। किसान कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों की एक महत्वपूर्ण संख्या पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि, बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत खेत भी मौजूद हैं, जो कुछ मामलों में शारीरिक श्रम की आवश्यकता को कम करते हैं।

7. अनौपचारिक रोजगार: कुछ क्षेत्रों में, कृषि श्रम की पहचान अनौपचारिक रोजगार व्यवस्था से की जा सकती है। इसमें कैजुअल या दिहाड़ी मजदूरी, टुकड़ा-दर वेतन, या औपचारिक अनुबंधों या श्रम सुरक्षा की कमी शामिल हो सकती है। अनौपचारिक श्रम व्यवस्था से कम वेतन, सीमित लाभ और श्रमिकों के लिए बढ़ी हुई भेद्यता हो सकती है।

8. भेद्यताएं और जोखिम: खेतिहर मजदूरों को अक्सर अपने काम से जुड़े विशिष्ट जोखिमों और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। इनमें हानिकारक रसायनों के संपर्क में आना, मशीनरी के साथ काम करने से चोट लगना, लंबे समय तक काम करना और स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में कमी शामिल हो सकती है। कृषि श्रमिकों की भलाई की रक्षा के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं।

9. कृषि का महत्व: कृषि श्रम खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कुशल और समर्पित कृषि कार्यबल के बिना, भोजन और टिकाऊ कृषि प्रणालियों की वैश्विक मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा।

10. कम मजदूरी: अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि श्रम अक्सर अपेक्षाकृत कम मजदूरी से जुड़ा होता है। बाजार की स्थिति, श्रम आपूर्ति और मांग, और अनौपचारिक रोजगार की व्यापकता जैसे कारक कृषि कार्य में मजदूरी के स्तर को कम करने में योगदान कर सकते हैं।

11. प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता: कृषि श्रम प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और जलवायु परिस्थितियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। इन संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता कृषि गतिविधियों की उत्पादकता और लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसलिए, खेतिहर मजदूरों को अक्सर प्राकृतिक संसाधनों की परिवर्तनशीलता के प्रबंधन और अनुकूलन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

12. अन्योन्याश्रय और सहयोग: कृषि श्रम में अक्सर टीम वर्क और श्रमिकों के बीच सहयोग शामिल होता है। कटाई या पशुधन प्रबंधन जैसे कई कार्यों में दक्षता और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। ग्रामीण समुदायों में, कृषि श्रम अन्योन्याश्रितता और सामुदायिक एकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है।

13. तकनीकी प्रगति: कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति देखी गई है जिसने कृषि श्रम के कुछ पहलुओं को बदल दिया है। उत्पादकता बढ़ाने और कुछ कार्यों में आवश्यक शारीरिक श्रम को कम करने के लिए मशीनीकरण, स्वचालन, सटीक कृषि तकनीकों और कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग को तेजी से अपनाया जा रहा है।

14. लैंगिक गतिशीलता: कई क्षेत्रों में, कृषि में लिंग आधारित भूमिकाएं और श्रम के विभाजन हैं। महिलाएं अक्सर रोपण, निराई और कटाई के बाद के प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि पुरुष जुताई, मशीनरी संचालन और पशुधन प्रबंधन जैसे कार्यों में शामिल हो सकते हैं। लैंगिक असमानताएं और संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच महिलाओं के लिए कृषि श्रम के अनुभवों और परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

15. स्थानांतरण जनसांख्यिकी: दुनिया के कई हिस्सों में कृषि श्रम की जनसांख्यिकी बदल रही है। कुछ देशों में कृषि कार्यबल की उम्र बढ़ना एक चिंता का विषय है, क्योंकि युवा पीढ़ी गैर-कृषि रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवास करती है। यह जनसांख्यिकीय बदलाव कृषि श्रम की स्थिरता और भविष्य के लिए चुनौती पेश करता है।

16. पर्यावरणीय प्रबंधन: कृषि मजदूरों को स्थायी कृषि प्रथाओं और पर्यावरण प्रबंधन में प्रमुख अभिनेताओं के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। वे संरक्षण तकनीकों, जैविक खेती के तरीकों को लागू करने और मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण जैसे कृषि के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

17. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला: कृषि श्रम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ा है, विशेष रूप से वाणिज्यिक खेती और निर्यातमुखी कृषि के संदर्भ में। खेतिहर मजदूर उत्पादन, वितरण और विपणन के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं, जिसका उनके काम करने की स्थिति, मजदूरी और सौदेबाजी की शक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है।

ग्रामीण भारत में मजदूरों की वृद्धि के कारण

ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या में निरंतर और भारी वृद्धि के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है; कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प का पतन; भूमि से छोटे किसानों और काश्तकारों की बेदखली; अलाभकारी जोत; कम आय के बाद ऋणग्रस्तता में वृद्धि, भूमि के हस्तांतरण के कारण छोटे और सीमांत किसान खेतिहर मजदूर बन गए; धन और विनिमय प्रणाली के उपयोग का प्रसार; पूंजीवादी कृषि; सहायक व्यवसायों के साधनों का विस्थापन; किसानों का विघटन; संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना; विरासत का कानून; और कृषि आदानों की लागत में वृद्धि।

महिला कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति:

कृषि श्रम में महिलाओं की आर्थिक स्थिति विभिन्न क्षेत्रों और देशों में काफी भिन्न होती है। जबकि महिलाएं दुनिया भर में कृषि गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उन्हें अक्सर कई चुनौतियों और असमानताओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी आर्थिक भलाई को प्रभावित करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया है:

1. कृषि श्रम में भागीदारी: महिलाएं विश्व स्तर पर कृषि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, विकासशील देशों में महिलाओं की कृषि श्रम शक्ति का लगभग 43% हिस्सा है, और कुछ क्षेत्रों में उनकी भागीदारी और भी अधिक हो सकती है।

2. संसाधनों तक पहुंच: महिलाओं को भूमि, ऋण, आदान (बीज, उर्वरक, आदि), और आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे संसाधनों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड, कानूनी बाधाएं, और संपत्ति के अधिकारों की कमी अक्सर भूमि के स्वामित्व या नियंत्रण की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करती है, जो उनकी आर्थिक संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

3. आय में असमानता: खेतिहर श्रम में महिलाएं आम तौर पर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम कमाती हैं, यहां तक कि समान कार्य करते हुए भी। यह वेतन अंतर विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें लिंग आधारित भेदभाव, संसाधनों तक असमान पहुंच और कौशल विकास और प्रशिक्षण के सीमित अवसर शामिल हैं।

4. अनौपचारिक रोजगार: महिलाओं का कृषि श्रम अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में केंद्रित होता है, जहां नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और लाभ तक पहुंच सीमित होती है। कई महिलाएं अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में काम करती हैं, औपचारिक रोजगार की स्थिति या वित्तीय पारिश्रमिक के बिना घरेलू कृषि गतिविधियों में योगदान करती हैं।

5. मौसमी और अस्थायी कार्य: महिलाएं अक्सर मौसमी या अस्थायी कृषि कार्यों में संलग्न रहती हैं, जैसे रोपण, कटाई और कटाई के बाद की गतिविधियाँ। इस प्रकार के रोजगार को अक्सर कम वेतन, अनियमित आय और अनिश्चित कार्य स्थितियों की विशेषता होती है।

6. उद्यमिता और मूल्यवर्धन: चुनौतियों के बावजूद, कई महिलाएं कृषि क्षेत्र के भीतर उद्यमशीलता की गतिविधियों में संलग्न हैं। वे छोटे पैमाने पर खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पहलों में भाग लेते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और ग्रामीण विकास में योगदान करते हैं।

7. अधिकारिता और नीतिगत हस्तक्षेप: विभिन्न पहलों का उद्देश्य कृषि में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक विषमताओं को दूर करना है। इनमें संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ावा देने, उनके कृषि कौशल में सुधार करने, उनकी जरूरतों के अनुरूप

8. अवैतनिक काम और घरेलू जिम्मेदारियां: कृषि श्रम में उनकी भागीदारी के अलावा, महिलाएं अक्सर अवैतनिक घरेलू और देखभाल के काम की जिम्मेदारी उठाती हैं। इन जिम्मेदारियों को संतुलित करने से अतिरिक्त आय-अर्जक गतिविधियों में संलग्न होने या कृषि क्षेत्र के बाहर उच्च-वेतन वाले रोजगार के अवसरों का पीछा करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।

9. बाजारों और मूल्य श्रृंखलाओं तक पहुंच: जब बाजार तक पहुंचने, कीमतों पर बातचीत करने और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेने की बात आती है तो महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सीमित बाजार जानकारी, परिवहन चुनौतियाँ, और निर्णय लेने की प्रक्रिया से बहिष्कार उनके आर्थिक अवसरों को सीमित कर सकता है और मूल्यवर्धित गतिविधियों से लाभ उठाने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।

10. जलवायु परिवर्तन और लचीलापन: कृषि में महिलाएं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से असमान रूप से प्रभावित होती हैं, जिसमें बारिश के बदलते पैटर्न, चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि और पर्यावरणीय गिरावट शामिल है। ये चुनौतियाँ उनकी आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकती हैं और मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा सकती हैं।

11. सशक्तिकरण और लैंगिक समानता: कृषि श्रम में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल सामाजिक न्याय का विषय है बल्कि सतत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं की लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और अधिकारों को पहचानने और संबोधित करने से अधिक समावेशी और लचीली कृषि प्रणाली बन सकती है।

12. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश, विशेष रूप से कृषि में महिलाओं पर लक्षित, उनकी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। कृषि विस्तार सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास की पहल महिलाओं को उत्पादकता और आय में सुधार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस कर सकती हैं।

13. सहयोग और नेटवर्किंग: सहयोग और नेटवर्क के लिए महिला किसानों, मजदूरों और उद्यमियों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना, ज्ञान साझा करने, संसाधनों और बाजारों तक पहुंच को बढ़ावा दे सकता है, और उनके आर्थिक अधिकारों और जरूरतों की वकालत करने में उनकी सामूहिक आवाज को बढ़ा सकता है।

14. डेटा संग्रह और अनुसंधान: विभिन्न संदर्भों में महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने के लिए कृषि क्षेत्र में डेटा संग्रह के प्रयासों को मजबूत करना और लिंग-अलग-अलग अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है। यह जानकारी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित नीतियों और हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन कर सकती है।

कृषि श्रम में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के प्रयासों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं को संबोधित करता हो। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है बल्कि व्यापक कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और गरीबी में कमी में भी योगदान होता है।

संदर्भ

भारती, वी. (2011), "ऋणग्रस्तता और आत्महत्या: पंजाब के कृषि मजदूरों पर प्राथमिक नोट्स", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। एक्सएलवीआई। नंबर 4, 02 अप्रैल, 2011।

भोगल, टी.एस. (1986), "भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान", जनशक्ति जर्नल, खंड 22, संख्या 3।

बिरादर, आर.आर.; और बगलाकोटि, एस.एस. (2001), "ग्रामीण भारत में रोजगार के बदलते तथ्य: उभरते मुद्दे और चुनौतियां", भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल, वॉल्यूम। 56, नंबर 3, जुलाई-सितंबर, पीपी। 538-551।

बराड़, आर.एस. (2013), "माइग्रेशन लेबर इंसेपेरेबल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर", हिंदुस्तान टाइम्स, 11 जून, 2013।

भारत की जनगणना, 2011, <http://www.censusindia.gov.in.2011>।

चड्ढा, जी.के.; और खुराना, एम.आर (1989), "बैकवर्ड एग्रीकल्चर, अनरिवार्डेड लेबर एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन बिहार कंट्रास्ट विथ पंजाब", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। 24, संख्या 47, 25 नवंबर, 1989।

चट्टोपाध्याय, एम। (1977), "कृषि श्रमिकों के दो समूहों की मजदूरी दर", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड XII, संख्या 13, 26 मार्च, 1977।

चौहान, जे.बी.; सिंह (1981), "ऋणग्रस्तता कृषि मजदूरों के बीच", कुरुक्षेत्र, खंड 29, संख्या 16, मई, 1981।

चौहान, जे.बी.; सिंह (1983), "एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया", सोशल चेंज, सितम्बर 1983, खंड 13, संख्या 3।

चव्हाण, पी.; और बेदामत्ता, आर. (2006), "ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर वेजेज इन इंडिया 1964-65 टू 1999-2000", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। 41, नंबर 38, सितंबर, पीपी। 4041-4051।

चोपड़ा, एस. (2005), "कृषि श्रम और उदार सुधारों की समस्याएं" भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का साप्ताहिक अंग, वॉल्यूम। XXIX, संख्या 5 अप्रैल 10, 2005।

दास, एच.के. (2008), "फार्म वुमेन ऐट द क्रॉसरोड्स कंसर्न्स एंड ऑपच्युनिटीज़", जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, वॉल्यूम। 27, नंबर 2।

दास, टी.सी.; और के.के. बागची (1996), "कृषि मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां", अभिजीत प्रकाशन, www.flipkar.com।

देशपांडे, आर.एस.; और शाह, के. (2007), "एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड एग्रीकल्चरल लेबर", द इंडियन जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 50, नंबर 2। अप्रैल-जून, 2007, पीपी. 257-272.

देशपांडे, आर.एस.; ज्योतिषी, ए.; और नारायणमूर्ति, ए. (2001), "ऋणग्रस्तता अमंग एग्रीकल्चरल लेबर फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट्स:-टूवर्ड्स एन एक्सप्लेनेशन", अर्थ विज्ञान, वॉल्यूम। XLIII, नंबर 1-2, मार्च-जून 2001, पीपी। 159-172।